



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली लोक अदालत केम्प कोर्ट-बाली

पीठासीन अधिकारी :- श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 75/2011

दायरा तिथि : 17.08.2011

निर्णय तिथि : 30.06.2016

वादी :-

खीमाराम पुत्र मगारामजी
जति सरवी सेपटा, निवासी बेरा ढिम्बरा, बाली
तहसील बाली, जिला-पाली(राज.)

व न अ म

प्रतिवादीगण :-

1. पुनाराम पुत्र राजारामजी
2. सेसाराम पुत्र राजारामजी
3. जसाराम पुत्र राजारामजी
4. मानाराम पुत्र राजारामजी
5. दरगाराम पुत्र राजारामजी
तमाम ही जाति सीरवी सेपटा, निवासी बेरा ढिम्बरा, बाली
तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

: निर्णय :

दिनांक : 30.06.2016

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, 2016 केम्प कोर्ट, बाली में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारान् को लोक अदालत के जारी नोटिस बाद तामील कार्यवाही के प्राप्त हुये, जो शामिल मिसल किये गये। वादी व प्रतिवादी पक्ष उपस्थित। उपस्थित पक्षकारो की पहचान निरीक्षक भूअ. मौखमपुरा द्वारा की गई। वादी व प्रतिवादी पक्ष ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आपसी सहमति का विभाजन पत्र पेश कर वादग्रस्त भूमि मौजा बाली के ख. न. 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619 कुल खसरा 8 कुल रकबा 3.03 हैक्टर का पक्षकारो के बीच मौके पर किये विभाजन के अनुसार विभाजन की डिक्री किये जाने का निवेदन किया। चुकि पक्षकार आपसी सहमति से विभाजन को तैयार है। जिससे पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के विभाजन पत्र को स्वीकार कर इसी अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है। आपसी सहमति से प्रस्तुत विभाजन पत्र को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का, बाली को लिखा जावे। मिसल फैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 30.06.2016 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बाली

दिनांक 30.06.2016

क्रमांक/केम्प कोर्ट/2016/ 1919-20
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :-

1. तहसीलदार, बाली
2. पटवारी हल्का, बाली

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बाली
केम्प-बाली